जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-19.01.2025

थाना कैराना पुलिस द्वारा घर में घुसकर नाबालिग को डरा धमकाकर साथ ले जाने और जोर जबरदस्ती विवाह कर दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 11.09.2024 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के घर ने घुसकर नाबालिग को डरा धमकाकर साथ ले जाने और जोर जबरदस्ती विवाह कर दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध पीड़िता के द्वारा थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना कैराना पुलिस को अभियुक्तगणों शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 19.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा घर में घुसकर नाबालिग को डरा धमकाकर साथ ले जाने और जोर जबरदस्ती विवाह कर दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता अभियुक्त-

1.जानिसार पुत्र इरशाद निवासी ग्राम घाटोपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग, मारपीट करने के मामले में वांछित 02 अन्य अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 11.01.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षो में एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व मारपीट की घटना हुई थी। घटना के सम्बन्ध में इमरान पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर 20 व्यक्ति नामजद व 08-10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात तथा तासमीन पुत्र इकराम निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर 23 व्यक्ति नामजद व 08-10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये तथा घटना में घायल 04 व्यक्तियों को उपचार हेतु भेजा गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण में 19 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इसी क्रम में आज दिनांक 19.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग मारपीट करने के मामले में वांछित 02 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.रिहान पुत्र वाजिद निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

2.उस्मान पुत्र माजिद निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली/कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 19.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.शाकाल उर्फ पप्पू पुत्र सैयद मकसूद निवासी मौहल्ला राजोवाला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.साजिद पुत्र हनीफ कुम्हार निवासी मौहल्ला राजोवाला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3.कय्यूम पुत्र मकसूद निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।
4.गिरीराज पुत्र भीम सिंह निवासी अहेडा बागपत जनपद बागपत।
5.नाजिम पुत्र करीमुद्दीन निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 50 पव्वे देशी शराब फौजी नं0-01 (मार्का) बरामदः-

दिनांक 18.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 50 पव्वे देशी शराब फौजी नं0-01 (मार्का) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.किरणपाल पुत्र खेमचन्द निवासी मौहल्ला रायजादगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.देशी शराब 50 पव्वे फौजी नं0-01 (मार्का)।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल वजन 11.800 किलोग्राम पतंग का प्रतिबंधित चाइनीज मांझा व 36 गट्टे व 02 गत्ते के डिब्बे में मांझे की 131 गुच्छी बरामदः-

दिनांक 18.01.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की रोकथाम हेतु विशेष अभियान में अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को कुल वजन 11.800 किलोग्राम पतंग का प्रतिबंधित चाइनीज मांझा व 36 गट्टे व 02 गत्ते के डिब्बे में मांझे की 131 गुच्छी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सुनील कुमार पुत्र नकली सिंह निवासी कस्बा बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.- कुल वजन 11.800 किलोग्राम पतंग का प्रतिबंधित चाइनीज मांझा।

2.- 36 गट्टे व 02 गत्ते के डिब्बे में मांझे की 131 गुच्छी।